

1009

1997

नि.सहा./स्वा.आयुक्त/.....  
दिनांक 04/12/17

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

क्रमांक एफ 9-4/2017/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु चिन्हित बीमारियों में सम्मिलित IN Vitro Fertilisation (IVF) बांझपन के जांच/उपचार की मान्यता विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-10/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08 जून 2016 द्वारा निम्नलिखित निजी अस्पतालों को प्रदान की गई थी -

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. दिशा फर्टिलिटी क्लिनिक, इंदौर                      | ICMR एनरोल्ड |
| 2. ग्रेटर कैलाश इनफर्टिलिटी सेन्टर, इन्दौर            | ICMR एनरोल्ड |
| 3. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, इन्दौर | ICMR एनरोल्ड |
| 4. श्रीधर इंटरनेशनल आई.वी.एफ. सेंटर इंदौर             | ICMR एनरोल्ड |

उक्त निजी चिकित्सालयों को दिनांक 31.03.2018 तक मान्यता वृद्धि एवं भंडारी हॉस्पिटल, इंदौर (NABH एक््रीडेटेड) को मान्यता इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि निजी चिकित्सालय दिनांक 31.03.2018 के पूर्व NABH प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे साथ ही NABH द्वारा प्रदत्त Scope of service में आई.व्ही.एफ. (IVF) सेवाओं का उल्लेख होना अनिवार्य होगा अन्यथा इनकी मान्यता दिनांक 01.04.2018 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

उक्त विभागीय ज्ञापन दिनांक 08 जून 2016 के अनुसार निर्धारित दरों/दिशा-निर्देशों के पालन में शर्तें यथावत रहेंगी।

*ANL*  
(अजय नथानियल)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....

संख्या (P.S.) 488  
दिनांक 4/12/17  
जांचकर्ता 4/12/17

*Dir (SF)*  
*AK*


*DD (MR)*  
*4/12/17*  
*0*

क्रमांक एफ 9-4 / 2017 / सत्रह / मेडि.-3

भोपाल दिनांक 28/11 / 2017

**प्रतिलिपि :**

1. निज सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. ।
  2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र. ।
  3. निज सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र. ।
  4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ग्वालियर, म.प्र. ।
  5. आयुक्त स्वास्थ्य सेवार्यें म.प्र. (कृपया आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।)
  6. मिशन संचालक, एन.एच.एम. ।
  7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र. ।
  8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवार्यें म.प्र. ।
  9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
  10. संचालक, दिशा फर्टिलिटी क्लीनिक, इंदौर ।
  11. संचालक, ग्रेटर कैलाश इनफर्टिलिटी सेन्टर, इन्दौर ।
  12. संचालक, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, इन्दौर ।
  13. संचालक, श्रीधर इंटरनेशनल आई.वी.एफ. सेंटर इंदौर ।
  14. संचालक, भंडारी हास्पिटल इंदौर ।
  15. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठित ।

  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग